(2008) 8 एस.सी.आर. 1159

एन. आर. मोन

बनाम

एम. डी. नसीमुद्दीन

आपराधिक अपील संख्या 1167/2001

16 मई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.)

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 37 सपठित धारा 437 द.प्र.सं. - जमानत के लिए प्रार्थना पत्र-स्वीकृत द्वारा विशेष न्यायाधीश - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। - अभिनिर्धारित: अधिनियम की धारा 37 के प्रभाव/महत्व का मूल्यांकन उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय दोनों द्वारा नहीं किया गया है - जमानत प्रदान किए जाने का आदेश स्पष्टतः अरक्षणीय है, अतः निरस्त किया जाता है - दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 - धारा 437।

प्रतिवादी द्वारा चलाए जा रह एक ट्रक को पकड़ा गया और इसकी तलाशी लेने पर 163 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। प्रतिवादी को गिरफ्तार किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रासायनिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर दर्शित नमूना गांजा होना पाया गया। प्रतिवादी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दायर किए जाने पर उसे संबंधित

विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादी के जमानत पर रहने की पुष्टि की गई।

हस्तगत अपील में यह तर्क दिया गया था कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को जमानत प्रदान किए जाने में त्रुटि कारित की है।

अपील स्वीकृत- न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि:

इस न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के प्रभाव को जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में अनेकों आदेशों में विचार में लिया गया, जिस पर न तो उच्च न्यायालय ने और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है, अतः जमानत प्रदान किए जाने का आदेश स्पष्टतः अरक्षणीय है और निरस्त किया जाता है। (पैरा 5 और 10) (1162-एफ-जी, 1166-सी)

भारत संघ बनाम गुरचरण सिंह (2003) 11 एस. सी. सी. 764, सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली बनाम अहमदालिएवा नोडिरा (2004) 13 एस. सी. सी. 549, भारत संघ बनाम अब्दुल्ला (2004) 13 एससीसी 504, और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो बनाम कर्मा फुन्टसोक और अन्य (2005) 12 एससीसी 480 के आधार पर।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1167/2001।

आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 7/2000 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.4.2000 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से बी.बी. सिंह, टी.ए. खान और सुषमा सूरी।

प्रत्यर्थी की ओर से अंजनी अय्यगारी।

न्यायालय का निर्णय द्वारा डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में गुवाहाटी उच्च न्यायालय इम्फाल पीठए के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय जिसमें विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, मणिपुर, इम्फाल द्वारा आपराधिक परिवाद संख्या 32/2000 में प्रत्यर्थी को जमानत दी गई थी, को सही ठहराया था, को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

17.1.2000 को अपीलकर्ता को एक आकस्मिक स्रोत से लिखित रूप में सूचना मिली कि एक टाटा ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या एमएन.5113 दिनांक 18.01.2000 को जल्दी सुबह इम्फाल क्षेत्र से गुवाहाटी की ओर गांजा लेकर जा रहा है। अपीलकर्ता द्वारा तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी अधीक्षक, एनसीबी, आरयू, इंफाल को दी गई, जिन्होंने अपीलकर्ता को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। अपीलकर्ता ने अधीक्षक के नेतृत्व में एनसीबी के स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ इंफाल उखरूल सड़क पर निगरानी रखी और वाहनों की जांच शुरू कर दी। 18.1.2000 को सुबह लगभग 7 बजे एक टाटा ट्रक सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। उक्त वाहन को अपीलकर्ता द्वारा रोका गया और वाहन में एक ड्राइवर (यहाँ प्रतिवादी) और एक पूर्णबहादुर सहायक सवार थे। वाहन, आरोपी और सहायक को गहन जांच के लिए राजस्व परिसर में लाया गया। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बादए प्रतिवादी और ड्राइवर से पूछा गया कि क्या वे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी

के सामने तलाशी हेतु जाना चाहेंगे। तलाशी के दौरान ईंधन टैंक में एक विशेष रूप से निर्मित कक्ष से दबाए गए गांजा के 6 पैकेट बरामद किए गए। वजन करने पर वह कुल मिलाकर 163 किलोग्राम निकला। प्रतिनिधि नमूने लिए गए और गुवाहाटी में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में असम सरकार के रासायनिक परीक्षक द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए। प्रतिवादी का स्वैच्छिक बयान 18.1.2000 को गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया गया था। प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और कब्जे के संबन्ध में अधिनियम की धारा 20ए 29 और 60 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का मानना था कि सैंपल गांजा था। 4.3.2000 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (संक्षेप में सीआरपीसी) और धारा 37 (बी) (ii) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, मणिपुर, इंफाल के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 37 का ध्यान रखे बगैर जमानत दे दी गई, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आक्षेपित आदेश अनुसार, इसे अस्वीकार कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी की उपस्थिति पहले से ही हस्ताक्षरित जमानत बांड के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती है। प्रतिवादी को जमानत पर रहने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वह अपनी पसंद के वकील के साथ पर्याप्त परामर्श कर सके।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 37 के मापदंडों को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया।

4. अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार है-

"37. अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।

(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी बात के बावजूद,

(ए) इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा

(बी) धारा 19 अथवा धारा 24 अथवा धारा 27-क के अन्तर्गत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में अपराधों के लिए भी, की अवधि से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जायेगा जब-

(i) लोक अभियोजक को ऐसी नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया हैं, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता हैं वहाॅ न्यायालय का यह समाधान हो गया हैं कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं हैं।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर, करने के सम्बन्ध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।"

5. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सही प्रकट किया है किए धारा 37 के प्रभाव पर विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अधिनियम की धारा 37 की पृष्ठभूमि में जमानत देने से संबंधित स्थिति पर विचार किया गया है।

6. भारत संघ बनाम गुरुचरण सिंह (2003(11) एससीसी 764) जिसमें इस प्रकार अवधारित किया गया है कि-

> "5. उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन परए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने आरोपी प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने से पहले अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा। इसलिएए हम आदेश को रद्द करते हैं और इस अपील को अनुमत करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि अन्वीक्षा शीघ्रता से पूर्ण की जाए।"

7. सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली बनाम अहमदालीवा नोदिरा (2004) 3 एससीसी 549, में पृष्ठ 552 पर इस प्रकार अवधारित किया गया है कि-

> "6. जैसा कि इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम थमिशारासी खंड (बी) में पाया किए धारा 37 की उप.धारा (1) संहिता के तहत जमानत दिये जाने को प्रतिबंधित करती है। दो सीमाएं हैंरू (1) लोक अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसरए और (2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो गया कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
>
> 7. जमानत देने की सीमाएं तभी आती हैं जब गुणावगुण के आधार पर जमानत देने का सवाल उठता है। लोक अभियोजक को अवसर

देने के अलावाए अन्य दो शर्तें जो वास्तव में वर्तमान आरोपी प्रतिवादी के संबंध में प्रासंगिक हैं, वे हैंः न्यायालय का यह समाधान हो जाना कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अपराधी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। स्थितियाँ संचयी हैं, वैकल्पिक नहीं। अभियुक्त के दोषी न होने के संबंध में संतुष्टि का विचार उचित आधार पर आधारित होना चाहिए। अभिव्यक्ति उचित आधार का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह मानने के पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचारित उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो इस संतुष्टि को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हों कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसने अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान पर ध्यान नहीं दिया। अनुसूची के क्रम संख्या 43 पर दवा का विवरण जो इस प्रकार है, को ध्यान में नहीं रखा गया है-

क्रम संख्या	अंतर्राष्ट्रीय नॉन–प्रोपराइटरी का नाम	अन्य नॉन–प्रोपराइटरी का नाम	रसायन का नाम
43	डाइजेपाम		7–क्लोरो–1, 3–डाई हाइड्रो–1, मैथाइ 1–5–फैनी 1–2 एच–1, 4–बेंजोडाइजेपिन–2–एक

इसके अलावा, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। इसे बिना किसी उचित कारण के हल्के ढंग से दरकिनार कर दिया गया।

8. भारत संघ बनाम अब्दुल्ला (2004 (13) एससीसी 504) में इस प्रकार अवधारित किया गया था:

> "5. यहां प्रतिवादी पर विशेष न्यायाधीश, लखनऊ की अदालत के समक्ष स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21/29/60 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। जमानत देने के लिए उनके आवेदन को विशेष न्यायाधीश ने कारण बताते हुए खारिज कर दिया था। तब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में आवेदन किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 37 की अनिवार्य आवश्यकता और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जमानत प्रदान कर दी गईं। इस न्यायालय द्वारा अधीक्षक, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो बनाम आर. पॉलसामी (2000) 9 एससीसी 549, के मामले में माना है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से उत्पन्न मामलों में जमानत देना अधिनियम की धारा 37 द्वारा नियंत्रित होता है और अदालत के लिए लोक अभियोजक की बात सुनना अनिवार्य है। प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कि आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा सके। चूँकि इस तरह का निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं किया गया है और कारणों से

समर्थित नहीं है, हमें लगता है कि लागू आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।"

9. नारकोटिक्स कंट्रोलए ब्यूरो बनाम कर्मा फुंटसोक और अन्य (2005 (12) एससीसी 480) में यह अवधारित किया गया है कि:

"4. उत्तरदाताओं को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 20 (बी) (ii) (सी) सपठित धारा 29 के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपील दायर होने पर, विद्वान न्यायाधीश ने सजा को निलंबित कर दिया और उत्तरदाताओं को 50,000 रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इसी राशि का एक जमानत पत्र विचारण न्यायालय के संतोषप्रद निष्पादित करने पर जमानत दे दी गई। हमने विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया है और हमने पाया है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित शर्तों के बारे में कोई भनक तक नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जसपाल सिंह ने तर्क दिया कि विद्वान लोक अभियोजक ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) में निहित जमानत का विरोध नहीं किया। उनके मुताबिक जब तक लोक अभियोजक जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेंगे तब तक धारा 37 लागू नहीं होगी. श्री सिंह ने गंभीरता से तर्क दिया कि चूंकि अपीलकर्ता ने यह रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि लोक अभियोजक ने जमानत देने का विरोध किया था,

इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह सीआरपीसी की धारा 439 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 37(3) के तहत आने वाला एक आदेश है। कम से कम कहें तो यह तर्क निराधार प्रतीत होता है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत निषिद्ध किसी पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा की जब्ती से जुड़े मामले में जब लोक अभियोजक जमानत आवेदन के नोटिस पर उपस्थित होता है तो वह वहां मूकदर्शक के रूप में खड़ा होगा और जमानत आवेदन का विरोध नहीं करेगा जब तक कि वह आरोपी के इशारे पर न हो। हमें इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता। हमारे विचार मेंए यह तथ्य कि लोक अभियोजक उपस्थित हुआ तथा जमानत आवेदन का विरोध किया। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय के आदेश से यह नहीं पता चलता कि लोक अभियोजक जमानत देने के लिए सहमत था। उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें श्री सिंह द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई भी तत्व नहीं मिलता है।"

10. चूंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा हैए इसलिए जमानत देने का आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है और अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी. अपील स्वीकार है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल श्सुवासश् की सहायता से अनुवादकए न्यायिक अधिकारी सतीश चंद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।